"अधिसूचना"

संख्या–2/स्था0–02–0–34/2011 2310/आ0प्र0 – पटना, दिनांक 19/7/11

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 5.3) की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों का संदाय) नियमावली 2008 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ– (i) यह नियमावली आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्त्ते तथा भत्तों का संदाय) (संशोधन) नियमावली 2011 कही जा सकेगी।

(ii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

2. आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्त्ते तथा भत्तों का संदाय) नियमावली 2008 के नियम 4 के उप–नियम (iv) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

(iv) "उपाध्यक्ष/ सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी, परन्तु सुयोग्य व्यक्ति के मामले में आपवादिक मामले में अधिकतम उम्र को 70 से 80 वर्ष तक शिथिल करने की शक्ति मुख्यमंत्री–सह– अध्यक्ष में निहित होगी।

परन्तु और कि विशिष्ट मामलों में 80 वर्ष के बाद भी अधिक उम्र को शिथिल करने की शक्ति मुख्य मंत्री–सह–अध्यक्ष में निहित होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/7/11

(सुनील कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 2/स्था0–02–0–34/2011 2310/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–19/7/11

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी असाधारण राजपत्र अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 प्रति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल्ला, पंत भवन, पटना–800001 को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

19/7/11

विशेष सचिव

D:\2011\Notification 7.06.11.doc